# 11

# महिलाएँ

## [WOMEN]

*"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"* —*मनुस्मृति*

भारत में महिलाओं की स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। प्राचीन काल में नारियों को समाज में उच्च स्तर प्राप्त था। उन्हें सुख-समृद्धि, शान्ति, वैभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में उनकी पूजा करने का विधान रहा है। **मनुस्मृति** के अनुसार, "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।" अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। परन्तु धीरे-धीरे समाज में नारियों का सम्मान कम होता चला गया।

### विभिन्न कालों में हिन्दू समाज में स्त्रियों की स्थिति

[STATUS OF WOMEN IN INDIAN SOCIETY IN VARIOUS PERIOD]

**वैदिक काल** (Vedic Period)—वैदिक काल में भारतीय समाज में नारियों की स्थिति उन्नत थी। नारी को समाज और परिवार में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। नारी को अर्द्धांगिनी कहा जाता था। पति-पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते थे। बिना नारी के धार्मिक कार्य अधूरा माना जाता था। ऋग्वेद में दम्पत्ति (दम्+पति अर्थात् पत्नी+पति) शब्द का वर्णन है जिसमें पति से पूर्व पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में कन्या अपनी इच्छा से विवाह कर सकती थी। नारियों में बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं थी। वे घर से बाहर स्वछन्दतापूर्वक आ-जा सकती थीं। विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती थीं। अथर्ववेद में वर्णन है कि, "नववधू तू जिस घर में जा रही है, वहाँ की तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हैं।" यजुर्वेद के अनुसार नारियों को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार के अधिकार प्राप्त थे। **पी. एन. प्रभु** के शब्दों में, "जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था, स्त्री-पुरुष में कोई विशेष भेद नहीं था और इस युग में दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्त्वपूर्ण थी।

**उत्तर-वैदिक काल** (Post-vedic Period)—उत्तर वैदिक काल जो 600 ई. पूर्व से 300 ई. तक माना गया है। इस काल में नारियों के स्तर में कुछ गिरावट आयी। उत्तर वैदिक काल में धर्म सूत्रों ने बाल-विवाह का निर्देश दिया, जिसके फलस्वरूप स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुँची। उनके लिए वेदों का अध्ययन बन्द कर दिया गया। इस काल में विधवा पुनर्विवाह निषेध कर दिया गया। पति को परमेश्वर मानने की भावना का बीजारोपण हुआ। बहु-पत्नी प्रथा का प्रचलन बढ़ा।

**धर्मशास्त्र काल** (Dharamshastra Period)—इसे तीसरी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक माना गया है। इस काल में नारियों की स्थिति में और गिरावट आयी। इस काल में मनुस्मृति को व्यवहार की कसौटी मानकर वैदिक नियमों को तिलांजलि दे दी गयी। इस काल में नारियाँ सामाजिक और धार्मिक संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनीं। **चन्द्रावती लखनपाल** के शब्दों में, "वैदिक काल की वह नारी जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतन्त्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी।" पति स्त्री के लिए देवता है, विवाह ही उसके जीवन का एकमात्र संस्कार है, आदि विचारधाराओं ने जन्म लिया। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि, "नारी कभी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं

Scanned with CamScanner

है, बचपन में पिता के अधिकार में युवावस्था में पति के वश में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियन्त्रण में रहे।" पति की सेवा करना स्त्री का परम कर्तव्य माना गया। स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया।

**मध्यकालीन काल** (Medieval Period)—मध्यकाल 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। भारतीय संस्कृति की मुगलों से रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों ने कड़े नियमों का प्रावधान किया। 5-8 वर्ष की आयु में कन्याओं के विवाह होने लगे, जिससे स्त्री शिक्षा में गिरावट आयी। पर्दा प्रथा का चलन हो गया। सती प्रथा का प्रचलन हुआ। एक पत्नी होते हुई दूसरी पत्नी रखना सामाजिक प्रतिष्ठा बन गयी। इसलिए अपने अस्तित्व के लिए महिलाएँ पूर्णरूपेण पुरुषों पर निर्भर हो गयीं।

## स्वतन्त्रता-पूर्व महिलाओं की स्थिति
[WOMEN'S STATUS BEFORE INDEPENDENCE]

18वीं शताब्दी के अन्त से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक का काल इसमें आता है। इस काल में भारत में अंग्रेजों का शासन था। इस काल में भारतीयों ने समाज सुधार के अनेक प्रयास किये लेकिन अंग्रेजी सरकार का उन्हें विशेष सहयोग इस कार्य में नहीं मिला। इस काल में नारियों की दशा खराब होने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे—

**1. अशिक्षा**—इस काल में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया जिससे उनका जीवन स्तर अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गया। थोड़ी शिक्षा जिन महिलाओं को मिली उन्होंने उसका उपयोग धर्मशास्त्र पढ़ने में किया क्योंकि यही नैतिक धर्म माना गया। इसलिए वे अपने अधिकारों से वंचित हो गयीं।

**2. पुरुषों पर निर्भरता**—स्त्रियों को अपने परिवार और पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं था। कोई स्त्री चाहे भूख-प्यास से कितनी भी पीड़ित हो, उसके द्वारा आर्थिक क्रिया करना उसके स्त्रीत्व और कुलीनता के विरुद्ध माना जाता था। इसलिए स्त्री अमानवीय व्यवहार के पश्चात् भी पुरुष की दया पर आर्थिक रूप से आश्रित थी।

**3. बाल विवाह**—बाल विवाह के कारण महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न रहने से अज्ञानता बढ़ी, जिससे वह समाज की मौलिक स्थिति को समझ कर अपने अधिकारों की माँग न कर सकी। छोटी उम्र में विवाह होने से पारिवारिक उत्तरदायित्व शीघ्र ही आ जाते थे जिससे उनका विकास प्रभावित होता था।

**4. संयुक्त परिवार प्रथा**—संयुक्त परिवार प्रणाली में महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार नहीं दिये गये। अनेक गाथाओं और उपदेशों से महिला को यह उपदेश दिलाया गया कि पति परमेश्वर है, उसकी पूजा की जानी चाहिए। महिलाओं के समस्त अधिकार छीन कर उसे पंगु बना दिया गया।

**5. वैवाहिक कुरीतियाँ**—अनेक विवाह कुरीतियों; जैसे—अन्तर्विवाह, कुलीन विवाह, दहेज प्रथा, विधवा-विवाह पर नियन्त्रण आदि ने महिलाओं की स्थिति को गिराने में सहयोग दिया है। इन प्रथाओं के कारण महिलाओं को परिवार में भार समझा जाने लगा।

**6. मुसलमानों के आक्रमण**—मुसलमानों के आक्रमण से बाल विवाह, पर्दा-प्रथा, विधवा-विवाह निषेध, महिलाओं का घर से बाहर निकलना बन्द होना आदि मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ, जिससे मुसलमान हिन्दू स्त्रियों को अपने साथ न रख सकें।

## सुधार आन्दोलन और महिलाओं की स्थिति
[REFORM MOVEMENT AND STATUS OF WOMEN]

स्वतन्त्रता-पूर्व भारत में सुधार आन्दोलनों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किये। उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

**1. ब्रह्म समाज**—1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया, उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया। राजा राममोहन राय ने महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार देने, बाल विवाह समाप्त करने एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये।

**2. आर्य समाज**—1875 में महर्षि दयानन्द ने आर्य समाज की स्थापना कर वैदिक आदर्शों की ओर हिन्दू समाज को ले जाने का प्रयास किया। इस संस्था ने उत्तर भारत में महिला शिक्षा का प्रचार करने, पर्दा-प्रथा तथा बाल विवाह रोकने के लिए अच्छा कार्य किया।

Scanned with CamScanner

**3. ईश्वरचन्द विद्यासागर**—इन्होंने बिना किसी संस्था की स्थापना किये व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की दशा सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया तथा बहुपत्नी विवाह सम्बन्धी परम्परागत नियमों का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने अपने पुत्र की शादी एक विधवा स्त्री से करके आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयत्नों से 1856 में 'हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' पास हो गया।

समाज सुधारकों के प्रयत्नों से ही 1891 में 'ऐज ऑफ कन्सेन्ट बिल' पारित हुआ, जिसके द्वारा लड़कियों की विवाह के लिए आयु 12 वर्ष निश्चित की गयी। केशवचन्द्र सेन के प्रयत्नों के फलस्वरूप 'नेटिव मेरिज एक्ट' पास हुआ जिसमें बहुविवाह को दण्डनीय अपराध माना गया और बाल विवाह निषेध ठहराया गया तथा अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता दी गयी।

1917 में 'महिलाओं की भारतीय समिति' चेन्नई की स्थापना की गयी जिसमें श्रीमती एनी बेसेन्ट को अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महिला संगठन; जैसे—'भारतीय स्त्री मण्डल', 'पूना सेवा सदन', 'सरोजनी दत्त महिला समाज' आदि का विकास हुआ। इन विभिन्न संघों ने 1929 में एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' (All India Women Conferences) का संगठन बनाया। इस सम्मेलन ने संगठित रूप से अपना कार्य 1929 से प्रारम्भ किया, जिसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित थे—

1. स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सक्रिय कार्य करना।
2. दहेज, बाल-विवाह, बहु-विवाह और विवाह से सम्बन्धित अन्य कुरीतियों को दूर करना।
3. स्त्रियों के लिए समान अधिकारों और अवसरों को प्रदान कराना।
4. स्त्रियों को नागरिकता की शिक्षा देना और उनके नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने की कोशिश करना।
5. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं विश्व शान्ति के लिए कार्य करना।

अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत अन्य महिला संगठनों में 'महिलाओं की राष्ट्रीय समिति' (National Council of Women), 'विश्वविद्यालय महिला संघ' (The Federation of University Women), 'कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक समिति' (Kasturba Gandhi National Memorial Trust), 'ईसाई नवयुवती समिति' (Young Women's Christian Association) प्रमुख हैं। ये संगठन शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के कार्य करते हैं। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता इन्हीं सुधार आन्दोलनों के परिणाम हैं।

## अंग्रेजों द्वारा पारित कानून

[ACTS PASSED BY BRITISHERS]

भारत में महिलाओं से सम्बन्धित ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित कानून पास किये—

**1. सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829** (Regulation No XVII, 1829)—1829 से पहले भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। पति की मृत्यु के समय उसकी चिता में पत्नी को जबरदस्ती धकेल दिया जाता था। राजा राममोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु होने पर उनकी भाभी को स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक चिता में जला दिया गया। इस अमानवीय दृश्य से उनका मन विचलित हो उठा और उन्होंने तभी इस सती प्रथा को समाप्त कराने की शपथ ली। राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियन बना।

**2. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856** (Hindu Widow Remarriage Act, 1856)—1856 से पूर्व हिन्दू विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवाओं को अपने मृत पति की सम्पत्ति में अधिकार भी नहीं था। उनकी स्थिति बहुत शोचनीय थी। कुछ विधवाओं ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से सरकार ने 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया।

**3. बाल-विवाह निरोधक अधिनियम, 1929** (Child Marriage Restraint Act, 1929)—1929 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों, बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास हुआ, जिसे 'शारदा एक्ट' के नाम से भी जाना जाता है।

**4. हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937** (The Hindu Women's Right to Property Act, 1937)—इस अधिनियम द्वारा हिन्दू विधवा स्त्री को उसके पति के सम्पत्ति में अधिकार दिया गया।

**5. अलग रहने तथा भरण-पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम, 1946**—किसी कारण से पति से अलग रहने की स्थिति में पत्नी को भरण-पोषण मिलेगा यह अधिकार उक्त कानून से दिया गया।

Scanned with CamScanner

## स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति

[STATUS OF WOMEN AFTER INDEPENDENCE]

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् नारियों की स्थिति में और भी अधिक सुधार हुआ है। सरकार, गैर-सरकारी संगठनों (महिलाओं संगठनों सहित) तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारतीय नारी की स्थिति मध्यकाल की नारी से कहीं ऊँची है। आज भारतीय नारी को अपना जीवन-साथी चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में वे पुरुषों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं। उन्हें तलाक का अधिकार प्राप्त है। पारिवारिक सम्पत्ति में उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त है। राजनीतिक क्षेत्र में भी नारियाँ पुरुषों से पीछे नहीं हैं।

स्थानीय स्तर पर (पंचायतों में) उन्हें आरक्षण की सुविधाएँ भी प्राप्त हो गयी हैं। राज्य विधान सभाओं एवं लोक सभा में भी इनके आरक्षण हेतु सभी राजनीतिक दल प्रयासरत हैं। आज भारतीय नारी पूर्णतः पुरुष पर ही आश्रित नहीं है, वह पुरुष की जीवनसाथी बनती जा रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगीकरण व नगरीकरण, एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि, नारियों में सामाजिक चेतना, अन्तर्जातीय व प्रेम विवाहों के प्रचलन, राजनीतिक चेतना तथा वैधानिक सुविधाओं जैसे कारकों ने नारियों की स्थिति को पुरुषों के बराबर लाने में सहायता दी है। राजनीति में प्रवेश के कारण नारियाँ शक्ति-सम्पन्न पदों पर भी पहुँचने में सफल रही हैं। उनका राजनीति में प्रवेश पूरी तरह से वांछनीय है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत वृद्धि हुई है, जिसका विवरण प्रतिशत में निम्न प्रकार है—

| वर्ष | व्यक्ति | स्त्रियाँ | पुरुष |
|---|---|---|---|
| 1951 | 18·33 | 8·86 | 27·16 |
| 1961 | 28·30 | 15·35 | 40·40 |
| 1971 | 34·45 | 21·97 | 45·96 |
| 1981 | 43·57 | 29·76 | 56·38 |
| 1991 | 52·21 | 39·29 | 64·13 |
| 2001 | 65·38 | 54·16 | 75·85 |

**स्रोत** : *भारत-2003*, पृष्ठ-13.

आधुनिक काल में प्रजातन्त्र के कारण भारतीय नारियों को शिक्षा की ओर रोजगार की ओर तथा उनकी समस्याओं के समाधान की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा के प्रसार से उनके व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास में सहायता मिली है। बाल विवाह की समाप्ति, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा अन्तर्जातीय एवं प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन देने में भी नारियों की शिक्षा ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रजातन्त्र ने, वास्तव में, नारियों और पुरुषों में समानता लाने का प्रयास किया है तथा सभी नारियों को पुरुषों के समान मतदान अधिकार प्राप्त हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्र भारत में नारियों की स्थिति पुरुषों के लगभग समान ही है। परन्तु कुछ विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि आज भी नारियों के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। उन्हें गैर-परम्परागत क्षेत्रों में आगे आने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ भी हो, यह सत्य है कि आधुनिक युग में नारियाँ समानता व स्वतन्त्रता की दृष्टि से निरन्तर आगे बढ़ रही हैं।

## स्वतन्त्र भारत में बने सामाजिक कानून

[SOCIAL ACTS PASSED IN INDEPENDENT INDIA]

स्वतन्त्र भारत में महिलाओं के लिए निम्नलिखित कानून पारित किये गये हैं—

**1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954** (Special Marriage Act, 1954)—इस अधिनियम द्वारा दो भारतीयों को चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, न्यायालय की सहायता से विवाह कर सकते हैं।

**2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955** (Hindu Marriage Act, 1955)—इस अधिनियम द्वारा जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी जातियों के स्त्री-पुरुषों को विवाह एवं तलाक का अधिकार दिया गया।

Scanned with CamScanner

**3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** (Hindu Succession Act, 1956)—इस अधिनियम द्वारा स्त्री-पुरुषों की सम्पत्ति में समान उत्तराधिकार प्रदान किये गये।

**4. हिन्दू नाबालिग तथा संरक्षता अधिनियम, 1956** (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956)—इस अधिनियम द्वारा पिता की मृत्यु के उपरान्त माता को संरक्षक बनने का अधिकार दिया गया।

**5. हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1955** (Hindu Adoptation and Maintenance Act, 1955)—इस अधिनियम में गोद लेने और स्त्रियों तथा उनके आश्रितों के भरण-पोषण की व्यवस्था है।

**6. स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956** (Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956)—वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यवहार रोकने के लिए यह कानून पारित किया गया।

**7. दहेज निरोधक अधिनियम, 1961** (Dowry Prohibition Act, 1961)—दहेज प्रथा रोकने के लिए इसे पारित किया गया। 1984 और 1986 में दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 में संशोधन कर इसे कठोर बनाया गया है। दहेज के विरुद्ध अपराध अब संज्ञेय (Cognizable) गैर-जमानती है तथा अभियुक्त को ही यह प्रमाण देना होता है कि वह निर्दोष है।

### भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात

स्त्रियों का अनुपात सामान्यतया पुरुषों के बराबर ही होना चाहिए, परन्तु पिछले 100 वर्षों के आँकड़े बताते हैं कि भारत में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम ही रहा है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार इसका विवरण निम्न प्रकार है—

| जनगणना वर्ष | स्त्री-पुरुष अनुपात |
|---|---|
| 1901 | 972 |
| 1911 | 964 |
| 1921 | 955 |
| 1931 | 950 |
| 1941 | 945 |
| 1951 | 946 |
| 1961 | 941 |
| 1971 | 930 |
| 1981 | 934 |
| 1991 | 927 |
| 2001 | 933 |

**स्रोत :** *भारत-2003*, पृ. 13.

## महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में भूमिका

[ROLE OF WOMEN IN POLITICAL PROCESS]

भारतवर्ष में महिलाओं की राजनीति में भूमिका को स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर 2004 तक निम्न प्रकार देखा जा सकता है—

### लोकसभा में पुरुष-महिला प्रतिनिधित्व

| वर्ष | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| 1952 | 476 | 22 |
| 1957 | 467 | 27 |
| 1962 | 459 | 35 |
| 1967 | 490 | 30 |
| 1971 | 499 | 21 |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 1977 | 523 | 19 |
| 1980 | 514 | 28 |
| 1984 | 500 | 42 |
| 1989 | 502 | 27 |
| 1991 | 492 | 39 |
| 1996 | 503 | 40 |
| 1998 | 500 | 43 |
| 1999 | 494 | 49 |

**स्रोत** : *सहारा समय* 20 दिसम्बर 2003

राजनीति में महिलाओं के बढ़ते रुझान के कारण ही ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब महिलाओं को मुख्यमन्त्री बनाकर राज्यों की सत्ता उनको सौंपी गयी है। भारत में संविधान लागू होने से अब तक निम्नलिखित महिलाएँ मुख्यमन्त्री बन चुकी हैं—

## भारत की महिला मुख्यमन्त्री

| क्र. | नाम | राज्य | कार्यकाल | दल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सुचेता कृपलानी | उत्तर प्रदेश | अक्टूबर 1963 से मार्च 67 | कांग्रेस |
| 2. | नन्दिनी सत्पथी | उड़ीसा | जून 1972 से मार्च 74 एवं मार्च 1974 से दिसम्बर 76 | कांग्रेस |
| 3. | शशिकला खाडोकर | गोवा | अगस्त 1973 से जून 77 एवं जून 1977 से अप्रैल 79 | महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी |
| 4. | सइदा अनवरा ताईमुर | असम | दिसम्बर 1980 से जून 81 | कांग्रेस |
| 5. | जानकी रामचंद्रन | तमिलनाडु | जनवरी 7 से 30, 1988 | ए. डी. एम. के. (जानकी) |
| 6. | जे. जयललिता | तमिलनाडु | जून 91 से मई 96 | ए. डी. एम. के. |
| 7. | मायावती | उत्तर प्रदेश | जून 1995 से अक्टूबर 96 एवं मार्च 1997 से सितम्बर 97 एवं मई 2002 से अगस्त 2003 | ब.स.पा. |
| 8. | राजिन्दर कौर भट्टल | पंजाब | अप्रैल 1996 से फरवरी 97 | कांग्रेस |
| 9. | राबड़ी देवी | बिहार | 25-7-97 से 12-9-99 एवं 11-3-2000 से कार्यरत | आर.जे.डी. |
| 10. | सुषमा स्वराज | दिल्ली | 12-10-98 – 3-12-98 | भा.ज.पा. |
| 11. | शीला दीक्षित | दिल्ली | 3 दिसम्बर 98 से अब तक | कांग्रेस |
| 12. | उमा भारती | मध्य प्रदेश | 8 दिसम्बर 2003 से अब तक | भा.ज.पा. |
| 13. | वसुन्धरा राजे | राजस्थान | 8 दिसम्बर 2003 से अब तक | भा.ज.पा. |

यद्यपि देश में अनेक राजनीतिक दल महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित करने के सन्दर्भ में बहुत वर्षों से विचार-विमर्श कर रहे हैं और संविधान के 73वें संशोधन (1992) के द्वारा ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण स्वीकार कर चुके हैं, परन्तु संसद और विधानसभा के लिए महिला आरक्षण अभी स्वीकार नहीं कर पाये हैं। इसका कारण शायद उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है।

## सरकार द्वारा महिला कल्याण हेतु चलाये गये कार्यक्रम

[PROGRAMMES RUN BY GOVERNMENT FOR WOMEN WELFARE]

भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। उनका संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित है—

Scanned with CamScanner

**1. समान वेतन अधिनियम, 1979**—इसके द्वारा स्त्री-पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गयी।

**2. मातृत्व हित लाभ अधिनियम**—1961 एवं 1976 में बनाये गये।

**3. महिला कर्मचारियों के लिए हॉस्टल**—नगरों में कार्यरत महिलाओं को सस्ते और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए 1972 में एक योजना शुरू की गयी। 2000-01 तक इस प्रकार के 870 होस्टल हैं जिनमें 61,564 कार्यरत महिलाएँ रहती हैं।

**4. पीड़ित नारियों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र**—यह योजना 1977 ई. में 18 से 20 वर्ष आयु की अत्यन्त गरीब नारियों को बिक्री योग्य वस्तुएँ बनाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयीं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आवश्यकतानुसार आवास तथा देखभाल की सुविधाएँ दी जाती हैं। यह योजना ऐच्छिक संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

**5. रोजगार तथा आय उत्पन्न करने वाली उत्पादन इकाइयाँ**—यह योजना वर्ष 1982-83 में नार्वे की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के सहयोग से प्रारम्भ की गयी। इस कार्यक्रम से गरीब ग्रामीण नारियों, अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे कमजोर वर्गों की नारियों, युद्ध में मारे गये सैनिकों तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में लगे संगठनों के मृत कर्मचारियों की विधवाओं को लाभ मिल रहा है।

**6. नारी प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम में सहायता**—यह योजना वर्ष 1986-87 में नारियों के काम करने वाले क्षेत्रों; जैसे—कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, खादी व ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम विकास आदि में नारी को रोजगार देने के लिए लागू की गयी।

**7. नारियों के लिए विकास निगम**—वर्ष 1986-87 के दौरान सभी राज्यों में नारियों के लिए विकास निगम के गठन के बारे में एक नयी योजना बनायी गयी। इस योजना का उद्देश्य नारियों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र और आत्म-निर्भर हो सकें। ये निगम महिला उद्यमियों का पता लगाकर उन्हें तकनीकी तथा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराते हैं।

**8. नारियों के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम**—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 ई. से प्रारम्भ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जरूरतमन्द व शारीरिक रूप से अक्षम नारियों को काम और मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। बोर्ड ने 1987 ई. तक 7,620 इकाइयाँ संचालित करने के लिए अनुदान दिये हैं जिनसे लगभग 96,482 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।

**9. नारी शिक्षा**—सामाजिक-आर्थिक गति को तेज करने में लड़कियों और नारियों की शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने समय-समय पर इस दिशा में अनेक कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि शिक्षा को नारियों के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली—(i) नारियों को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप भूमिका अदा करेगी, (ii) नये सिरे से तैयार किये गये पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से नये मूल्यों के विकास में योगदान देगी, तथा (iii) विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत नारी सम्बन्धी अध्ययन को प्रोत्साहित करेगी। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम लागू किया है जिसके अन्तर्गत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्थानीय निकायों/स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं की छात्राओं के शिक्षा शुल्क की पूर्ति की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम वर्ष 1985-86 से प्रभावी है।

**10. प्रौढ़ नारियों के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम**—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 ई. में शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये जिनका उद्देश्य जरूरतमन्द नारियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों, बाल सेविकाओं, नर्सों, स्वास्थ्य परिचारिकाओं, दाइयों और विशेषतः ग्रामीण इलाकों में परिवार नियोजन कार्यकर्त्ताओं का एक सक्षम और प्रशिक्षित वर्ग तैयार करना था। 1975 ई. में व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया ताकि 18-30 वर्ष तक की उम्र की नारियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर अपनी आय बढ़ाने का अवसर दिया जा सके।

**11. स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो**—ये ब्यूरो भी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा केन्द्र स्तर पर तथा 28 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थापित किये गये हैं। इनका कार्य नारियों तथा बच्चों पर होने वाले अत्याचारों

Scanned with CamScanner

का प्रतिरोध करना तथा अत्याचार एवं शोषण का शिकार हुए लोगों को निवारक तथा पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराना है। बोर्ड जरूरतमन्द नारियों के परामर्श तथा मार्गदर्शन के लिए 'परिवार परामर्श केन्द्र' स्थापना के वित्तीय सहायता भी देता है तथा 1986 ई. तक ऐसे 38 परिवार परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

**12. नारियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए शैक्षिक कार्य**—नारियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए शैक्षिक कार्य की एक योजना शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता देकर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित दूसरे लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, कानूनी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर, नारियों के लिए परा-कानूनी प्रशिक्षण/लोक अदालतें/कानूनी शिक्षा की पुस्तिकाएँ, मार्गदर्शिकाएँ, आरम्भिक किताबें आदि बनाना तथा परम्परागत माध्यमों द्वारा नारियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में लोगों को जानकारी आदि कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

**13. नारियों और लड़कियों के रहने के लिए अल्पकालिक आवास**—इस योजना के अन्तर्गत सरकार स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दे रही है ताकि वे ऐसे आवासों को चला सकें। पारिवारिक समस्याओं के कारण जो लड़कियाँ सामाजिक व नैतिक खतरे में हैं, उन्हें सुरक्षा व पुनर्वास प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा, मनोविकार उपचार, रोजगार देकर उपचार करना, सामंजस्य के लिए सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना आदि सुविधाएँ दी जाती हैं।

**14. राष्ट्रीय महिला आयोग**—31 जनवरी, 1992 को इसकी स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनकी उन्नति की सुरक्षा करना है। आयोग ने महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलवाने को सवाधिक प्राथमिकता दी है।

**15. राष्ट्रीय महिला कोष**—इसका गठन 30 मार्च, 1993 को किया गया। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

**16. अन्य कार्यक्रम**—उपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्रीय कल्याण बोर्ड, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी नारियों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में निम्नांकित उल्लेखनीय हैं—

(i) स्थानीय ग्रामीण स्तर पर महिला संगठन (महिला मण्डल);

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;

(iii) पुनर्वास केन्द्र;

(iv) निराश्रित महिला सदन;

(v) कॉलेजों में महिला विकास केन्द्र;

(vi) जनसहयोग से ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण; तथा

(vii) नौकरीपेशा महिलाओं के लिए हॉस्टल।

कई स्वैच्छिक संगठन बाल विवाह, दहेज प्रथा और लड़कियों की पढ़ाई छुड़ाने जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार करने तथा जन-सहयोग प्राप्त करने के कार्य में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

## नारीवाद की मुख्य-मुख्य धाराएँ (Broad Streams of Feminism)

नारीवाद-आन्दोलन के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विचार और कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं जिनका सम्पूर्ण विवरण देना कठिन है। मोटे तौर पर, इस आन्दोलन की तीन मुख्य-मुख्य धाराओं की पहचान कर सकते हैं—

**1. उदारवादी धारा** (Liberal Stream)—इसका ध्येय है, नारी-अधिकारवाद के पुनरुत्थान के लिए नये संघर्ष का सूत्रपात। इसमें स्त्रियों के लिए अवसर की पूर्ण समानता (Absolute Equality of Opportunity) और लिंग (Gender) के आधार पर भेदभाव के पूर्ण निराकरण पर बल दिया जाता है। इसके कार्यक्रम हैं—समान कार्य के लिए स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन (Equal Pay for Equal Work), गर्भपात कानूनों (Abortion Laws) में सुधार, इत्यादि। यह नारीवाद-आन्दोलन का सबसे लोकप्रिय पक्ष है। परन्तु इसे बहुत प्रभावशाली नहीं समझा जाता।

Scanned with CamScanner

**2. आमूल-परिवर्तनवादी धारा** (Radical Stream)—इस धारा के अन्तर्गत **शुलामिथ फायरस्टोन** (1945) जैसी उत्कट नारीवादी (Radical Ferminist) ने तर्क दिया है कि वर्तमान व्यवस्था में छिटपुट सुधारों के बल पर स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार की जड़ तक नहीं पहुँचा जा सकता। आर्थिक परिवर्तन या आर्थिक शक्ति से ही स्त्रियों को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। सारा इतिहास नारी पर पुरुष के अत्याचार की कहानी है, यह पितृसत्तात्मक शक्ति (Patriarchal Power) का जीता-जागता उदाहरण है। इसका अभिप्राय यह है कि स्त्री-पुरुष के शारीरिक अन्तर को एक जीववैज्ञानिक तथ्य (Biological Fact) मानते हुए स्त्री को बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने वाली मशीन समझ लिया जाता है। परन्तु सामाजिक जीवन में स्त्री-पुरुष की इतनी भिन्न-भिन्न भूमिका का कोई जीववैज्ञानिक आधार भी नहीं है। लड़कों को अडिग, उद्दंड और दबंग बनने की शिक्षा दी जाती है; लड़कियों को आज्ञाकारी, शर्मीली और दब्बू बनना सिखाया जाता है। लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर और विधिवेत्ता बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है; लड़कियों को नर्स, सेक्रेटरी और गृहणी बनने के लिए। जीववैज्ञानिक दृष्टि से लड़के-लड़कियों की मानसिक क्षमताओं में कोई अन्तर नहीं है। यदि समाज चाहे तो लड़के-लड़कियों की ये भूमिकाएँ आपस में बदली जा सकती हैं। इससे समाज की कार्य-कुशलता में कोई अन्तर नहीं आयेगा। इस विचारधारा के अनुसार स्त्री के शोषण (Exploitation) का अन्त करने का सही तरीका यही होगा कि लिंग पर आधारित श्रम-विभाजन (Sex-based Division of Labour) को समाप्त कर दिया जाये। इसके लिए परम्परागत मूल-परिवार (Nuclear Family) का पुनर्गठन करना होगा, और अन्ततः उसे समाप्त कर देना होगा। यह विचार नारी-मुक्ति आन्दोलन (Woman's Liberation Movement) के रूप में व्यक्त हुआ है। कई उत्कट नारीवादियों ने स्त्रियों की ऐसी स्वायत्त बस्तियाँ बसाने की हिमायत की है जिनमें उनके उत्पीड़न के मूल स्रोत—पुरुष के लिए कोई जगह नहीं होगी। मानव-जाति को समाप्त होने से बचाने के लिए यहाँ केवल पुरुष के पुरुषत्व का इस्तेमाल किया जायेगा; उसे प्रधान भूमिका निभाने का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

**3. समाजवादी धारा** (Socialist Stream)—इस आन्दोलन की तीसरी मुख्य धारा समाजवादी नारीवाद की है। इसकी मुख्य प्रतिनिधि अंग्रेज महिला **शीला रोबाथम** है। यह आमूल-परिवर्तनवादियों के पितृसत्तात्मक विश्लेषण (Patriarchal Analysis) और मार्क्सवादियों के वर्ग-विश्लेषण (Class Analysis) में समन्वय का प्रयत्न है। इसका दावा है कि स्त्रियों की पराधीनता के सारे कारण मिले-जुले हैं। इसका एक कारण जीववैज्ञानिक नियम है जो अनन्त काल से चला आ रहा है; दूसरा कारण आर्थिक दृष्टि से पुरुष-प्रधान समाज है जिसमें पुरुष को सारी सम्पत्ति का स्वामी जाना जाता है, यहाँ तक कि स्त्री को भी पुरुष की सम्पत्ति के रूप में देखा जाता है; तीसरा कारण पूँजीवादी व्यवस्था है जिसमें स्त्री को श्रम का स्रोत मानते हुए उसका शोषण किया जाता है। स्वयं पूँजीवादी व्यवस्था ऐतिहासिक नियम (Historical Law) का परिणाम है। नारीवाद की समाजवादी धारा के अनुसार इस समस्या का समाधान यह होगा : (क) एक ओर लिंग पर आधारित श्रम-विभाजन और मूल परिवार की धारणाओं को समाप्त करके मानव-समानता पर आधारित नयी व्यवस्था स्थापित की जाये; और (ख) दूसरी ओर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अन्त करके समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जाये ताकि अलगाव (Alienation) से मुक्त **वर्गहीन समाज** (Classless Society) का उदय हो सके।

## प्रश्न

### दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारत में स्वतन्त्रता-पूर्व महिलाओं की स्थिति बताइए। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए क्या उपाय किये ?
2. भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास बताइए।
3. भारत में महिलाओं की राजनीति में भूमिका पर लेख लिखिए।

### लघु उत्तरीय प्रश्न

1. विभिन्न कालों में हिन्दू समाज में स्त्रियों की स्थिति बताइए।
2. महिलाओं की दशा सुधारने में सुधार आन्दोलनों का योगदान बताइए।

Scanned with CamScanner